संख्या : —— /जी0एस0/शिक्षा/A3-117/2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड **देहरादूनः दिनांक/ 8 अक्टूबर, 2021**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 1890/वी0सी0/मान्यता/सम्बद्धता/2020–21 दिनांक 21.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विपिन त्रिपाठी कुमाऊँ प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, (अल्मोड़ा) को बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020–21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	**महाविद्यालय/संस्थान का नाम**	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)**	**नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	विपिन त्रिपाठी कुमाऊँ प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)	बी0सी0ए0	60 सीट	सत्र 2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– संस्थान में U.G.C/शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। जिन मानकों को पूर्ण कराने हेतु शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय इस सचिवालय के पत्र संख्याः 2565 दिनांक 13 जनवरी, 2020 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि अपूर्ण मानकों के कारण अध्ययनरत छात्रों के हित प्रभावित न हों।

3– नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु U.G.C विनियमों में निहित व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्रदान होने के 03 माह के भीतर फैकल्टी का विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।

4. अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2099 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-117/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, विपिन त्रिपाठी कुमाऊँ प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, (अल्मोड़ा)
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।